

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :- प. 6 (120) परि/कर/मु./92/4264

जयपुर, दिनांक: 03/03/2016

आदेश

अन्य राज्य के परिवहन यानों द्वारा ऑनलाईन विभागीय पोर्टल पर मोटर वाहन कर, एवं विशेष पथकर निर्धारित देय राशि से अधिक (Excess) जमा कराये जाने पर नियमानुसार Excess राशि का प्रतिदाय (रिफण्ड) किये जाने वाले प्रकरणों के लिये जिला परिवहन अधिकारी (कर मुख्यालय) को एतद् द्वारा कराधान अधिकारी के रूप में अधिकृत किया जाता है।

पु
(पवन कुमार गोयल)
परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक :- प. 6 (120) परि/कर/मु./92/4265-31

जयपुर, दिनांक: 03/03/2016

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण/समस्त अपर परिवहन आयुक्त।
3. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
4. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र।
7. रक्षित पत्रावली।

अप
अपर परिवहन आयुक्त (कर)